

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन)
116, राजपुर रोड, देहरादून

नीलामी सूचना

संख्या- 25-35/2026 क्रय अनुभाग/(e-54056)

दिनांक 30/04/2026

अनुक्रमणिका

विषय : राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून स्थित बाग की नीलामी।

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निविदा सह नीलामी सूचना	2-3
2.	मात्राओं की अनुसूची (फलदार वृक्षों का विवरण)	4
3.	नियम एवं शर्तें	5-6
4.	नीलामी प्रपत्र	7

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज़ में पृष्ठ संख्या 1 से 7 तक सम्मिलित है।

जी.टी. मैदान

(क्रय अधिकारी)

निपवेड, देहरादून

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन)

116, राजपुर रोड, देहरादून

संख्या- 25-35/2026 क्रय अनुभाग

दिनांक 30/04/2026

निविदा सह नीलामी सूचना

आम और लीची की तुड़वाई (फल-बहार) हेतु निविदा

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून परिसर में स्थित आम और लीची के पेड़ों से वर्ष 2026 और 2027 के लिए फल तोड़ने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

2. विस्तृत नियम एवं शर्तों सहित निविदा प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट www.niepvd.nic.in/tender पर भी उपलब्ध है।

3. निविदा प्रपत्रों का निर्गमन/डाउनलोड संस्थान की वेबसाइट से किया जा सकता है।

4. पूर्णतः भरे हुए सीलबंद निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून में नीलामी सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के सात दिन के भीतर जमा करने होंगे।

i. आधार मूल्य: ₹1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)।

ii. जमा करने की अंतिम तिथि: समाचार पत्र में नीलामी सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 7 दिवस पूर्ण होने तक होगी।

iii. निविदा खोलने की तिथि: समाचार पत्र में नीलामी सूचना प्रकाशित होने के आठवें दिन अपराह्न 03:00 बजे (सरकारी अवकाश की स्थिति में नीलामी सूचना निविदा अगले दिन खोली जायेगी)।

iv. निविदा खोलने का स्थान: संस्थान का सेमिनार हॉल।

5. निरीक्षण: इच्छुक बोलीदाता नीलामी सूचना प्रकाशित होने के अन्तिम तिथि तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच संस्थान परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं।

6. उच्चतम बोलीदाता को अनुबंध प्रदान किया जाने हेतु उपयुक्त मानते हुए विचार किया जाएगा। सफल बोलीदाता संस्थान स्थित बागान के रख रखाव, संरक्षण एवं देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा।
7. जिस बोलीदाता की बोली फलों के तोड़ने के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु स्वीकार की जाएगी, वह वर्ष 2026 के लिए प्रथम वर्ष की राशि संस्थान के लेखा अनुभाग में तत्काल जमा करेगा।
8. फल तोड़ते समय संस्थान की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। फल तोड़ने के दौरान परिसर के अंदर गिरने वाली पत्तियों एवं टहनियों की उचित सफाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी प्रकार की क्षति या सफाई से संबंधित व्यय होता है, तो आवश्यक राशि सुरक्षा जमा (Security Deposit) से काट ली जाएगी तथा शेष राशि फर्म को वापस कर दी जाएगी।
9. इच्छुक ठेकेदारों को अपनी निविदा के साथ ₹30,000 (केवल तीस हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट, NIVH के पक्ष में, एक सीलबंद लिफाफे में संलग्न करना अनिवार्य होगा। उच्चतम दर उद्धृत करने वाले बोलीदाताका डिमांड ड्राफ्ट लेखा विभाग को जमा किया जाएगा, जबकि अन्य सभी प्रतिभागी ठेकेदारों के डिमांड ड्राफ्ट 21 दिनों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे।
10. संस्थान को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन)

116, राजपुर रोड, देहरादून

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून स्थित बाग में फलदार वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	कुल वृक्षों की संख्या
1.	आम	300
2.	लीची	55
3.	कुल	355

जी. नैटा

(क्रय अधिकारी)

निपवेड, देहरादून

नियम एवं शर्तें

1. निविदा को दो वर्षों अर्थात 2026 एवं 2027 के लिए प्राप्त उच्चतम बोली मूल्य के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।
2. जिस बोलीदाता की बोली फलों के तोड़ने के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु स्वीकार की जाएगी, वह वर्ष 2026 के लिए प्रथम वर्ष की राशि संस्थान के लेखा अनुभाग में तत्काल जमा करेगा।
3. निविदा प्रपत्र पर निविदाकार/बोलीदाता के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। बिना हस्ताक्षर के निविदा प्रपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
4. मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए।
5. डाक विलंब के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून उत्तरदायी नहीं होगा।
6. फल तोड़ते समय संस्थान की संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी।
7. फल तोड़ने के दौरान परिसर में गिरने वाली पत्तियों एवं टहनियों की समुचित सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
8. ठेकेदार को बागान परिसर में अपने परिवार को रखने की अनुमति नहीं होगी।
9. किसी भी नियम एवं शर्त के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा तथा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. यदि किसी प्रकार की क्षति या सफाई संबंधी व्यय होता है, तो आवश्यक राशि सुरक्षा जमा (Security Deposit) से काट ली जाएगी तथा शेष राशि फर्म को वापस कर दी जाएगी।
11. इच्छुक बोलीदाता को अपनी निविदा के साथ **₹30,000 (केवल तीस हजार रुपये)** का डिमांड ड्राफ्ट, NIVH के पक्ष में, एक सीलबंद लिफाफे में संलग्न करना अनिवार्य होगा। उच्चतम दर उद्धृत करने वाले बोलीदाताका डिमांड ड्राफ्ट लेखा विभाग में जमा किया जाएगा, जबकि अन्य सभी प्रतिभागी ठेकेदारों के डिमांड ड्राफ्ट 21 दिनों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे।
12. निदेशक आवास पर स्थित दो लीची एवं दो आम के वृक्ष, ई-2 गेस्ट हाउस के निकट स्थित वृक्ष तथा संस्थान परिसर के भीतर सरकारी आवासीय क्वार्टरों की परिधि दीवारों के अंदर स्थित फलदार लीची एवं आम के वृक्ष नीलामी में शामिल नहीं किए जाएंगे।

13. फल तोड़ने/कटाई के दौरान होने वाले किसी भी व्यावसायिक या प्राकृतिक नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
14. यदि बोलीदाताको फलों की सुरक्षा हेतु संस्थान की विद्युत या जल का उपयोग करना हो, तो उपयोग से पूर्व रख-रखाव विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
15. बोलीदाता को फलों की सुरक्षा के लिए लगाए गए सभी कर्मचारियों का विवरण (नाम, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर सहित) की दो प्रतियाँ संस्थान में जमा करनी होंगी।
16. बोलीदाता को अपने खर्च पर फल देने वाले पेड़ों पर फल आने से पूर्व प्रत्येक वर्ष 15 दिनों के अंतराल पर दो बार DHC/सीथालोन 50 EC का छिड़काव एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने होंगे।
17. यदि बोलीदाता निर्धारित समय पर फल तोड़ने की राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसे 18% दंडात्मक ब्याज सहित राशि जमा करनी होगी।
18. यदि बोलीदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं करता है, तो संस्थान में जमा की गई उसकी सुरक्षा राशि (Security Deposit) जब्त कर ली जाएगी।
19. निविदा की आधार मूल्य (Base Price) फलदार लीची एवं आम के पेड़ों के लिए दो वर्षों हेतु ₹1,50,000.00 से प्रारंभ होगा।
20. निदेशक, NIEPVD, देहरादून को बिना किसी कारण बताए निविदा रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
21. इच्छुक बोलीदाता कार्य दिवसों में प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सुरक्षा प्रभारी की अनुमति से फलदार पेड़ों वाले स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।
22. सीलबंद/सीमित निविदाएं निदेशक कार्यालय में जमा की जाएंगी, जिसमें सीलबंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से “फल बहार हेतु निविदा” अंकित होना चाहिए।
23. प्राप्त सीलबंद लिफाफों को समिति के सदस्यों तथा बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सेमिनार हॉल में खोला जाएगा।

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन)

116, राजपुर रोड, देहरादून

नीलामी प्रपत्र

संख्या-

दिनांक 30/04/2026

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून स्थित बाग में फलदार वृक्षों की नीलामी हेतु निविदाएँ।

क्र. सं.	विवरण	विवरण (निविदाकार द्वारा भरा जाए)
1.	निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	
2.	फर्म/निविदाकार का नाम	
3.	पत्राचार हेतु पूर्ण पता	
4.	जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा पैन	
5.	आधार कार्ड संख्या	
6.	संपर्क/मो. नम्बर	
7.	ई-मेल आईडी	
8.	ईएमडी का विवरण	
9.	अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो	
10.	प्रस्तावित दर (अनुबंध अवधि : 02 वर्ष)- आम एवं लीची	वर्ष 2026 के लिए प्रस्तावित दर: अंकों में: ₹ _____ शब्दों में: रुपये _____ मात्र वर्ष 2027 के लिए प्रस्तावित दर: अंकों में: ₹ _____ शब्दों में: रुपये _____ मात्र

“मैंने उपर्युक्त सभी नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा अनुबंध प्रदान किए जाने की स्थिति में उनका पूर्णतः पालन करने के लिए सहमत हूँ।”

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

दिनांक : _____